

UTTAR PRADESH E-COURT FEES RULES, 2016

Uttar Pradesh Shasan
Stamp and Registration, Anubhag-2



The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification 4/2016/no.179/94/Sta.Ni.-2-2016-700(162)/14. Dated.19-02-2016 for general information.

NOTIFICATION

4/2016/No179/94/Sta.Ni.-2-2016-700(162)/14

Lucknow Dated 19-02-2016

In exercise of the powers under section 21 and section 26 of the Court Fees Act, 1870 (Act no. 7 of 1870), the Governor is pleased to make the following rules, namely:

THE UTTAR PRADESH E-COURT FEES RULES, 2016

PART-I

PRELIMINARY

1	Short title, extent, and commencement	(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh E-Court Fees Rules, 2016. (2) These Rules will be applicable to the whole State of Uttar Pradesh. (3) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
2	Definitions	(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context- (a) “Act” means the Court Fees Act, 1870 (Act no. 7 of 1870), as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh; (b) “Agreement” means the agreement executed between the Appointing Authority and the Central Record-keeping Agency describing the terms and

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	conditions of appointment of the Central Record-keeping Agency; (c) “Appointing authority” means the Government or the Commissioner of Stamps, authorized by the Government in this behalf by notification in the Gazette for all or any specific purpose under these rules; (d) “Approved Intermediaries” means the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers including all its offices and branches as appointed with the prior approval of the Appointing Authority to act as an intermediary between the Government and the Court Fees payer for collection of Court Fees under these rules; (e) “Authorized Collection Centre” means an agent appointed by the Central Record-keeping Agency, with the prior approval of the Appointing Authority, to act as an intermediary between the Central Record-keeping Agency and the Court Fees payer for collection of Court Fees; (f) “Central Record-keeping Agency” means an agency appointed by the Appointing Authority for computerization of Court Fees Administration System in the State or at such places as the Appointing Authority may determine from time to time; (g) “Commissioner of Stamps” means the Inspector General of Registration appointed under section 3 of the Registration Act, 1908;
--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		(h) “Department” means the Stamp and Registration Department, Government of Uttar Pradesh; (i) “E-Court Fees” for purposes of Rule 32 of Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942 in addition to kind of stamps prescribed therein, means an electronically generated impression to denote the payment of Court Fees; (j) “Form” means a Form prescribed by the Appointing Authority/ Registrar General of the High Court from time to time; (k) “Government” means the State Government of Uttar Pradesh; (l) “Grievance Redressal Officer” means an officer of the department not below the rank of Assistant Commissioner of Stamps, authorized by the Commissioner of Stamps; or an officer not below the rank of Additional District Judge authorized by the Registrar General of the High Court or the District Judge, as the case may be. (m) “Collector” means the “collector” as defined in Indian Stamp Act, 1899. (2) Words and expressions not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Court Fees Act, 1870 as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh and The Information Technology Act, 2000.
	PART-II APPOINTMENT OF CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY	
3	Eligibility criteria for appointment of Central Record-keeping Agency-	Any public Financial Institution, Indian Scheduled Bank, a Company engaged in providing depository

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		services appointed by Central Government, a company recognized by the Government either individually or in consortium may be eligible for appointment as Central Record-keeping Agency.
4	Appointment of Central Record-keeping Agency	The Appointing Authority shall select and appoint by notification a suitable agency to function as Central Record-keeping Agency for the State to implement the Computerization of Court Fees Administration System in specified courts of the State as declared by the Appointing Authority from time to time, in the order as mentioned below— (a) On the basis of recommendations, if any, of the Central Government regarding appointment of Central Record-keeping Agency, issued from time to time; (b) By inviting technical and financial bids through a duly constituted expert Selection Committee.
5	Term of appointment-	The term of Central Record-keeping Agency appointed under these rules shall be five years.
6	Central record-keeping Agency to execute Agreement and Undertaking and Indemnity Bond-	1) The appointment of the Central Record-keeping Agency shall be on contract basis and the Agency shall enter into an Agreement with the Appointing Authority. (2) The Central Record-keeping Agency shall along with the agreement referred to in sub-rule (1) execute an Undertaking and Indemnity Bond, in favor of the Appointing Authority in the manner determined by the Appointing Authority from time to time.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7	Termination of appointment of Central Record-keeping Agency-	(1) The appointment of the Central Record-keeping Agency may be terminated earlier than the agreed term of appointment, on the ground of any breach of obligation, terms of agreement, the provisions of these rules or the Act, financial irregularity or for any other sufficient reason which shall be recorded in writing. (2) The decision to terminate the appointment will be taken- (a) after the Central Record-keeping Agency has been given a show-cause notice specifying the details of grounds under sub-rule (1); (b) after the Central Record-keeping Agency has been given a reasonable opportunity of being heard; (c) after consideration of the explanation offered by the Central Record-keeping Agency; and (d) in case of breach of obligation, if the Central Record-keeping Agency fails to cure the breach within the period specified in the show-cause notice. (3) If the ground, on which the Appointing Authority has decided to terminate the appointment, is such that it has also caused loss of revenue to the State, the Central Record-keeping Agency shall be bound to pay the entire amount of revenue loss, in addition to such amount of penalty as may be imposed by the Appointing Authority. (4) The amount or penalty that may be imposed under sub-rule (3) will not exceed twice the loss of revenue. (5) On termination of appointment under this Rule,
---	--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		the Central Record-keeping Agency shall transfer all the data generated during the period of appointment to the Government. After the termination of the appointment, the Central Record-keeping Agency, shall not use or cause to be used the data generated during the period of appointment for its business or any other purpose.
8	Renewal of appointment of Central Record-keeping Agency-	(1) The application for renewal of appointment of the Central Record-keeping Agency will be made to the Appointing Authority at least three months before the expiry of the running term of appointment. (2) The Appointing Authority may, before taking decision on the application for renewal of the appointment of the Central Record-keeping Agency, call for any information or record from the Department or the Central Record-keeping Agency or the Authorized Collection Centers or any other person or body. (3) The Appointing Authority, on being satisfied about the suitability of renewal, may renew the appointment. (4) If the Appointing Authority decides to renew the appointment, a fresh agreement referred in sub-rule (1) of Rule 6 and Undertaking and Indemnity Bond referred to in sub-rule (2) of Rule 6, will be executed with suitable amendments, if any. (5) The Appointing Authority shall have power to refuse the renewal of the term of appointment for reasons to be recorded in writing.
	PART-III <u>DUTIES OF THE CENTRAL RECORD-KEEPING AGENCY</u>	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9	Duties of Central Record-keeping Agency-	(1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible for- (a) creating need based infrastructure, hardware and software in the designated places in consultation with the Appointing Authority and its connectivity with its main server; (b) creating need based hardware and software in designated Courts, and at authorized collection centers (the point of contact for payment of Court Fees) in the identified cities/places; (c) providing suitable and adequate training for operation and the use of the system to the personnel of Department/Courts as may be specified from time to time by the Appointing Authority; (d) facilitating in selection of Authorized Collection Centers for collection of Court Fees and issuing of E-Court Fees certificates; (e) coordinating between the central server of Central Record-keeping Agency, Authorized Collection Centers, offices of Courts, supervisory and controlling officers/courts and any other office or places as may be specified by the Appointing Authority; (f) collecting Court Fees in accordance with these Rules and remitting it in the proper Head of Account of the State as directed from time to time by the Appointing Authority; (g) Developing and designing various reports as required under these Rules and as directed by the High Court of Judicature at Allahabad and the Appointing Authority from time to time;
---	---	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		(h) <u>It</u> shall be duty of the Central Record-keeping Agency to develop the required interfaces as may be mutually agreed upon between Appointing Authority, Central Record Keeping Agency and the Court. (2) (a) The Central Record-keeping Agency shall not provide, transfer or share without the written permission of the Appointing Authority any hardware, software or any other technology or details in respect of the E-Court Fees project undertaken by it in the State to anybody other than the duly appointed Authorized Collection Centers. (b) Deploy the E-Court Fees application software after getting the security audit conducted by agency empowered by the Government. The security audit shall also be required whenever there is any change in the E-Court Fees application software subsequently. (c) Maintain the logs of all the activities on the server dedicated for E-Court Fees under guidelines of Indian Computer Emergency Response Team "CERT" on regular basis.
10	Commission allowable to the Central Record-keeping Agency	(1) The Central Record-keeping Agency shall be entitled to such Commission on the amount of E-Court Fees collected as may be notified by the Government in the Gazette from time to time. (2) The commission payable to the Central Record-keeping Agency shall be subject to the condition specified in Rule-20.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11	Specification of software to be used by Central Record-keeping Agency	-(1) The Central Record-keeping Agency shall have to design and use such software in such a manner that the following minimum details are shown on the E-Court Fees certificate - (a) Distinguished Unique Identification number of the Certificate so that it is not repeated on any other certificate during the lifetime of the E-Court Fees system; (b) date and time of issue; (c) amount of Court Fees paid through the certificate in words and figures; (d) in case of E-Court Fees certificate above ninety nine rupees, name of the litigant; (e) location code of the issuing branch or the Approved Intermediary; and (f) any other distinguishing mark on the certificate e.g. bar code etc., if any, (2) The software to be used by the Central Record-keeping Agency shall also provide - (a) facility to Courts/Designated Officials to lock the E-Court Fees certificate used in a document; (b) facility to cancel the spoiled, unused or not required E-Court Fees certificate; (c) necessary user ID and passwords to be used by the designated officials of the Court to search, access and view any E-Court Fees certificate and to access Management Information System. The Central Record-keeping Agency shall provide these passwords to the concerned officials or the Courts as directed by the Appointing Authority <u>or Registrar General of the High Court;</u> (d) availability of details of the issued E-Court Fees
----	--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		certificate on the E-Court Fees Server maintained by the Central Record-keeping Agency; and (e) availability of the different transaction details and reports relating to E-Court Fees on the website of the Central Record-keeping Agency which will be accessible to the officers mentioned in sub-rule (2)(c).
PART-IV <u>AUTHORIZED COLLECTION CENTERS</u>		
12	Appointment of Authorized Collection Center	The Central Record-keeping Agency may appoint agent(s), herein after called Authorized Collection Centers, with the prior approval of the Appointing Authority, to act as an intermediary between the Central Record-keeping Agency and the Court Fees payer for collection of Court Fees. The service charges, commission, or fee etc. payable to Authorized Collection Centers shall be paid by the Central Record-keeping Agency at their own level as mutually agreed between them.
13	Eligibility criteria for appointment of Authorized Collection Centre	(1) Any scheduled bank, any financial institution, an undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution, Undertaking controlled by the Government, or a Post Office will be eligible for appointment as Authorized Collection Centre, subject to prior approval of the Appointing Authority under rule 12. (2) An individual may be appointed to act as Authorized Collection Centre on terms and conditions prescribed by the Appointing Authority in consultation with the Central Record-keeping Agency.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		(3) An individual may also purchase E-Court Fees certificate online after registering on the website of the Central Record-keeping Agency by one <u>self</u> or may prescribe it through an authorized agent.
14	Branches of Central Record-keeping Agency also to collect Court Fees	All the offices/branches of the Central Record-keeping Agency in specified places of the State, as declared by Appointing Authority from time to time, <u>may</u> collect the payment of Court Fees for which separate approval from the Appointing Authority under Rule 12 will not be required.
15	Infrastructure-	All such Approved Intermediaries shall be equipped with the required computers, printers, internet connectivity, and other related infrastructure, which is necessary to implement the E-Court Fees system as specified by the Central Record-keeping Agency from time to time.
16	Cost of Infrastructure	The cost of providing equipment and infrastructure referred to in Rule 15 will be borne by the concerned approved intermediaries.
17	State may specify Courts/ Places to establish counter-	State may specify Courts/ places to establish counter for issue of E-Court Certificate.
18	Termination of agency of Authorized Collection Centers-	The Appointing Authority may at any time, for reasons to be recorded in writing, advise the Central Record-keeping Agency to terminate the agency of any Authorized Collection Centre and the Central Record-keeping Agency shall on such advice terminate the agency of such Authorized Collection Centre.
19	Minimum Value limit of E-Court Fees certificate-	(1) The E-court fees certificates may be issued only for amount exceeding Rs. 5/- (Rupees Five only) or

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		such other minimum amount as may be specified by the Appointing Authority from time to time. (2) The limit referred to in sub-rule (1) shall not apply to issue of E-Court Fees certificate for payment of additional Court Fees under rule 28.
PART-V <u>REMITTANCE OF THE COURT FEES TO GOVERNMENT ACCOUNT</u>		
20	Central Record-Keeping Agency to deposit the Court Fees to Government Account and payment of commission to CRA	(1) The Central Record-keeping Agency shall reconcile and deposit the consolidated amount of Court Fees collected by its offices/branches and by its Authorized Collection Centers in the proper head of account of Court Fees, as may be notified from time to time by the Government, not later than the closure of business hours of next two working days from the date of such collection of Court Fees or within such period as may be prescribed to in the Agreement, which shall not be more than two working days. (2) The method of remittance of the Amount of Court Fees by the Central Record keeping Agency to the proper head of the State shall be through Electronic Clearing System (ECS), Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Fund Transfer (NEFT), Challan or as directed in writing by the Appointing Authority from time to time. (3) The deposit referred in sub-rule (1) shall be transferred to the Government account under specified head of account by means of depositing through challan in the banks authorised to carry on Government transections. The Government

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		Treasury or Authorized Banks and the Central Record-Keeping Agency shall maintain the daily account of such deposits in a Register which shall be in such form as may be determined from time to time by the Appointing Authority. (4) The Central Record-keeping Agency shall be paid commission on the basis of the consolidated receipt statement submitted by it either on a monthly or bi-monthly basis as may be determined from time to time by the Government or in accordance with the Agreement. The commission shall be paid under this sub rule after deducting Income Tax at source. The Central Record-Keeping Agency shall be liable to pay other taxes payable under Central or State Act.
PART-VI <u>PROCEDURE FOR ISSUE OF E-COURT FEES CERTIFICATE</u>		
21	Application for E-Court Fees certificate-	A person desiring to pay Court Fees shall make an application in the prescribed Form to any of the branch of the Central Record-keeping Agency or Approved Intermediaries with the requisite details for getting the E-Court Fees certificate.
22	Mode of payment of Court Fees	- Payment of the amount of Court Fees shall be made by Cash or Pay Order or Cheque or Bank Draft or Electronic Clearing System or Real Time Gross Settlement or any other mode of transfer of funds, as may be directed by the Appointing Authority.
23	Issue of E-Court Fees	(1) The Authorized official of approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	certificate	Intermediary shall issue the E-Court Fees certificate under rule 22. (2) The Approved Intermediary issuing the E-Court Fees certificate shall keep a daily account of issued E-Court Fees certificates in a Register to be maintained and take signature of purchaser or the authorized person; as the case may be, on the relevant column of the Register.
24	Authorized official issuing the E-Court Fees certificate-	The Approved Intermediary shall ensure that the person assigned the duty of issuing E-Court Fees certificate is a duly authorized representative of the Agency or Institution and has suitable credentials.
25	E-Court Fees certificate paper and printing-	The printing of E-Court Fees certificate shall be done by non-washable permanent black ink on a durable paper or in a manner determined by the Appointing Authority.
26	Details of E-Court Fees certificate to be on website-	The details of issued E-Court Fees certificate shall be made available on the E-Court Fees website maintained by the Central Record-keeping Agency and shall be accessible to any person authorized by the Appointing Authority in this behalf including the Courts holding a valid User ID and password which shall be provided by the Central Record-keeping Agency.
27	Payment of additional Court Fees-	Any person who holds E-Court Fees certificate and is required to pay an additional amount of Court Fees; may make an application in the Form prescribed with payment of such amount of additional Court Fees to the Approved Intermediary.
28	Issue of E-Court Fees	1) The Approved Intermediary shall issue E-Court

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	certificate for additional Court Fees-	Fees certificate for such additional Court Fees on separate sheet of paper in the manner prescribed in rules 21 to 25. (2) Judicial stamp may be used together with the E-Court Fees certificates to pay the Court Fees chargeable on a document under the Act.
29	Re-Use of E-Court Fees certificate-Prohibited-	(1) E-Court fees Certificate used in a document shall not be used in any other document. (2) A document not in compliance with sub-rule (1) shall be deemed to be unstamped and shall be dealt with under the provisions of the Act.
30	Distinguished Unique Identification number of the E-Court Fees certificate-	A distinguished unique identification number of the E-Court Fees certificate shall be written or printed at the top of the document.
31	Verification and locking the details of E-Court Fees certificate –	Courts, after making the enquiry envisaged by the Act, shall verify the correctness and authenticity of the E-Court fees certificate used in the document by accessing the relevant website of the-Central Record-keeping Agency, to verify its unique identification number with the help of a bar code scanner. After such verification, the Courts shall lock the E-Court Fees Certificate by using user ID Code and password provided by the Central Record-keeping Agency to prevent re-use of such certificate. The concerned officer shall not disclose the user ID and password provided by the central Record-keeping Agency, and if the wrong and unauthorized use thereof results in a loss to the State government, the concerned officer shall be

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		held responsible for the same.
 PART-VII <u>REFUND OF E-COURT FEES</u>		
32	Procedure for refund of spoiled/unused/not required E-Court Fees certificate-	(1) An application for refund of 'spoiled' or 'misused' or 'not required' E-Court Fees certificate shall be made in the Form prescribed along with the E-Court Fees certificate to the Collector within whose jurisdiction the E-court fees certificate is required to be locked by the Court for use. (2) On verification by accessing the relevant website of the Central Record-keeping Agency, the Collector shall cancel and lock the verified E-Court Fees certificate and endorse "CANCELLED" on the original E-Court Fees certificate with his signature and seal. The procedure for refund prescribed under Chapter V of the Court Fees Act, 1870 shall apply mutatis mutandis with such modifications as are necessary. (3) The Collector shall maintain a record of such cancelled E-Court Fees certificate in his office.
PART- VIII <u>INSPECTIONS, AUDIT AND APPRAISAL OF THE PERFORMANCE OF THE SYSTEM</u>		
33	Inspection of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers-	- (1) Officers authorized to inspect, any supervisory officer of the Department or any private or public sector technical cum audit expert/agency duly authorized by the Appointing Authority or by the Commissioner of Stamps in this behalf may inspect all or any of the branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Approved Intermediaries located within its jurisdiction. (2) The Commissioner of Stamps may, however, at

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		any time on receipt of a complaint or suo motu, direct any official of the Department to inspect any branch or office of the Central Record-keeping Agency or Approved Intermediaries and to submit a report, besides the regular inspections mentioned in sub-rule (1). (3) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad may also make audit of the receipts and remittances made by the Central Record-keeping Agency.
34	Schedule to be followed for making Inspections and audit-	All or any of the branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Approved Intermediaries in the State will be inspected and audited as per the schedule provided by the appointing authority.
35	Central Record-keeping Agency/Authorized Collection Centre bound to provide information-	During such inspection the Inspecting Officer or the expert/agency may require the Officer In-charge of the inspected branch/office to provide any information on soft and/or hard copy of any electronic or digital record related to the collection and remittance of Court Fees relating to any period of same and the concerned Central Record-keeping Agency or Approved Intermediary shall provide such information on priority basis.
36	Submission of Inspection report-	The Inspecting Officer and the technical-cum-audit expert/agency shall submit inspection report mentioning the omissions, violations, delays or irregularities, if any, and give suggestions and recommendations to the Commissioner of Stamps.
37	Commissioner of Stamps to take appropriate action	The Commissioner of Stamps on receipt of inspection report shall take appropriate action in the matter and may (if so warranted by the circumstances) make recommendation to the Appointing Authority ,including

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		imposition of penalty and/or termination of appointment of Central Record-keeping Agency or the agency Authorized as Collection Centre. If the Commissioner of Stamps is also authorized by the Government to function as Appointing Authority, he will take appropriate action in that capacity.
38	Appointing Authority to take appropriate action-	The Appointing Authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the Central Record-keeping Agency or the Agency authorized as Collection Centre, take any appropriate action as it deems fit on the basis of the inspection/technical audit report and the recommendations of the Commissioner of Stamps.
PART-IX <u>PENALTY FOR OMISSIONS AND VIOLATIONS</u>		
39	Penalty for delay in remittance to Government account-	In case the Central Record- Keeping Agency fails to remit the amount of <u>collected</u> Court Fees in proper Account Head of the State within the period stipulated in sub-rule (1) of rule 20, the Central Record-Keeping agency shall be liable to pay penalty for the delay, besides the collected amount of Court Fees in the following manner: -
	Period of delay (i) When the amount of court fees so collected is remitted on third working day or after that day but on or before seventh working day from the date of collection; (ii) When the amount of court	Penalty (i) Amount equal to the commission payable to the Central Record-keeping Agency; (ii) In addition in to the penalty imposed above, compound penalty of one percent per day of the amount of Court Fees shall also be imposed from the first day of default.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	fees so collected is remitted after closing of seventh working day from the date of collection.	
40	Dispute regarding delay in remittance-	(1) The Central Record-keeping Agency shall be given a reasonable opportunity of being heard to explain any delay in remitting the Court Fees and the consequent liability to pay penalty under rule 39. (2) If the Commissioner of Stamps is satisfied that the delay in remittance was caused due to reason(s) beyond the control of the Central Record-keeping Agency (such as Act of God, Act of Civil or Military Authorities, fire, epidemic, war, terrorist acts, riots, earthquakes, storms, typhoons, floods), he may waive the penalty stipulated in rule 39 either fully or partially. (3) In case of any dispute or the penalty imposed, the matter may be referred to the Government, and the decision of the Government shall be final.
41	Central Record-keeping Agency responsible to indemnify the loss to the Government and penalty for loss-	(1) If any act, omission, irregularity or violation on the part of the Central Record-keeping Agency or any of its Authorized Collection Centers has resulted in loss of revenue to the Government, the Central Record-keeping Agency shall indemnify such amount of loss of revenue along with interest calculated at the rate of one and half percent per men-sum and penalty not exceeding twice the loss of revenue to the Government. (2) The Central Record-keeping Agency shall, however be given an opportunity of being heard before taking a decision under sub-rule (1).
42	Amount due and the	In case, the Central Record-keeping Agency does

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	penalty recoverable as arrears of land revenue-	not to pay the amount due to the Government and the penalty imposed by the Appointing Authority under these Rules, such amount may be recovered as arrears of land revenue.
<u>PART-X</u> <u>ARBITRATION</u>		
43	Arbitration	- All disputes and differences between the parties to the Agreement shall as far as possible, be settled amicably failing which all such disputes shall be referred to a mutually agreed arbitrator under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act no. 26 of 1996)
44	Venue of Arbitration	The venue of arbitration shall be at Lucknow.
<u>PART-XI</u> <u>PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM</u>		
45	Grievance Redressal Officers-	(1) The Commissioner of Stamps will designate one or more Officers of the department, called “Grievance Redressal Officer” to look and enquire into the complaints received against the misconduct or irregularities of the Central Record-keeping Agency or its Authorized Collection Centers or any other person of the department related with the implementation of these Rules. (2) The Registrar General of the High Court or the District Judge, as the case may be, will designate an officer not below the rank of Additional District Judge called “Grievance Redressal Officer” to look and enquire into the complaints received against the misconduct or irregularities of the officials of the Court related with the implementation of these Rules.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

46	Complaint to Grievance Redressal Officers	Any person paying Court Fees who has a grievance in relation to the services of the Central Record-keeping Agency or any of its Authorized Collection Centre or any other person related with the implementation of these Rules, may make a complaint to the concerned Grievance Redressal Officer with evidence to support the complaint.
47	Proceedings before the Enquiry Officer	- (1) The Grievance Redressal Officer on receiving a complaint will immediately bring it to the notice of the Commissioner of Stamps or the Registrar General of the High Court or the District Judge, as the case may be. (2) The Commissioner of Stamps or the Registrar General of the High Court or the District Judge, as the case may be, may direct the Grievance Redressal Officer or any other Officer (to be called Enquiry Officer) to enquire into the complaint. (3) The Enquiry Officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the parties concerned. (4) The Enquiry Officer shall submit the enquiry report to the Commissioner of Stamps or the Registrar General of the High Court or the District Judge, as the case may be.
48	Action on the enquiry report-	(1) On the basis of the enquiry report, the Commissioner of Stamps shall take appropriate action under these Rules against the Central Record-keeping Agency or will make suitable recommendations to the employer of the concerned official for taking appropriate action. (2) On the basis of the enquiry report, the Registrar General of the High Court or the District Judge, as

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		the case may be, shall take appropriate action against the officials of the Court.
PART-XII <u>MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM/DECISION SUPPORT SYSTEM</u>		
49	Central Record-keeping Agency to furnish Management Information System and Decision Support System reports to the Department / Court-	1) The Central Record-keeping Agency shall provide Login ID and password to the Commissioner of Stamps and the Registrar General of the High Court and to any or all such officers as they may direct in this regard, for online access of the required information report in the E-Court Fees system. (2) The Central Record-keeping Agency shall furnish such information including the following information reports to the Commissioner of Stamps and the Registrar General of the High Court and to any or all such other officers as they may direct :- (a) Audit trail report- Tracking of all system based actions performed by users of collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period; (b) Government payable reports- Authorized Collection Center- wise (including collection branches of the Central Record-keeping Agency) total collection report of any specified day or period; (c) Additional Court Fees certificate reports- For all or any of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period; (d) Locked E-Court Fees certificate reports-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		Relating to all or any of the Courts pertaining to any specified day or period; (e) Remittance reports- A district-wise details of the remittances made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account pertaining to any specified day or period; (f) Report of cancelled E-Court Fees certificates- Report pertaining to specified day or period; (g) Certificate Generation reports- Reports of E-Court Fees certificates generated for any/all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period; (h) Yearly Court Fees Collection reports- Yearly report of Court Fees collected by any/all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers; (i) Court Fees Type Collection report- Showing category of document-wise monthly Court Fees collections of any calendar year for any/all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers; (j) Court Fees monthly collection report- Court Fees monthly collection report of any calendar year for Any/all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers; and (k) Any other report or information as may be required by the Commissioner of Stamps from time
--	--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		to time.
 PART-XIII <u>ROLE OF TREASURY</u>		
50	Treasury to verify daily remittances-	The Treasury Officer shall verify from the account scroll received from the branch of the bank carrying on the work of Government Business Branch , the details of the daily remittances of Court Fees made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account referred to in rule 20.
PART-XIV <u>DELEGATION OF POWERS</u>		
51	Appointing Authority may delegate all or any of its powers-	The Appointing Authority by making an order in writing may delegate all or any of its powers and/or functions to the officers(s) of the Department.
52	Power to amend the Rules-	The Government may amend these Rules by notification in the Gazette.
53	Saving-	In case of any conflict between these Rules and the U.P. Stamp Rules, 1942, these rules shall prevail.
PART-XV <u>IMPLEMENTATION</u>		
54		The facility of payment of e-Court Fee through the E-Court Fee Administration System shall come into effect in the High Court and the District Courts from such dates as mutually agreed between the Appointing Authority, Central Record Keeping Agency and the High Court and upon such date being notified by the Registrar General of the High Court.

(Anil Kumar)
Principal Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश ई-कोर्ट फीस नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2

4/2016/संख्या-179/94/स्टा०नि०-2-2016-700(162)/14

लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2016

अधिसूचना

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या-7, सन् 1870) की धारा-21 और धारा 26 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश ई-कोर्ट फीस नियमावली, 2016

भाग-1, प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई-कोर्ट फीस नियमावली, 2016 कही जायेगी। (2) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में: (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या-7 सन् 1870) से है; (ख) "करार" का तात्पर्य नियुक्ति प्राधिकारी एवं केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के मध्य निष्पादित केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की शर्तों का वर्णन करने वाले करार से है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार अथवा आयुक्त स्टाम्प से है, जिसे इस नियमावली के अधीन समस्त अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) "अनुमोदित मध्यवर्तियों" का तात्पर्य केन्द्रीय अनुरक्षण अभिकरण एवं सभी कार्यालयों एवं संस्थाओं सहित प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों से है, जो इस नियमावली के अधीन, न्यायालय शुल्क के संग्रह के लिए सरकार तथा न्यायालय शुल्क दाता के मध्य किसी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त हो;

(ङ.) "प्राधिकृत संग्रह केन्द्र" का तात्पर्य ऐसे अभिकर्ता से है, जिसे न्यायालय शुल्क के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं न्यायालय शुल्क दाता के मध्य मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(च) "केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण" का तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है, जिसे राज्य में अथवा ऐसे स्थानों में, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये, न्यायालय शुल्क प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(छ) "आयुक्त स्टाम्प" का तात्पर्य महानिरीक्षक निबंधन से है, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-3 के अधीन नियुक्त किया गया हो;

	(ज) "विभाग" का तात्पर्य स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से है; (झ) "ई-कोर्ट फीस" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 32 के प्रयोजन से उसमें वर्णित स्टाम्प के प्रकारों के अतिरिक्त न्यायालय फीस के संदाय का द्योतन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रॉनिक जनित चिन्ह से है; (अ) "प्रपत्र" का तात्पर्य समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी/रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र से है; (ट) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (ठ) "शिकायत निवारण अधिकारी" का तात्पर्य विभाग के सहायक आयुक्त स्टाम्प से अन्यून श्रेणी के ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयुक्त स्टाम्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो; अथवा अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश से अन्यून श्रेणी के ऐसे अधिकारी से है, जिसे महानिबंधक उच्च न्यायालय या जनपद न्यायाधीश जैसा हो द्वारा अधिकृत किया गया हो; (ड) "कलेक्टर" का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में यथा परिभाषित "कलेक्टर" से है। (2) इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 तथा इनफार्मेशन
--	---

	टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2000 में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।
भाग-2	
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति	
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड	(3) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त, कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था, भारतीय अनुसूचित बैंक या कम्पनी, जो निक्षेप सेवाओं को उपलब्ध कराने में संलग्न हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कम्पनी चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति	4. नियुक्ति प्राधिकारी राज्य के विनिर्दिष्ट न्यायालयों में जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाये, न्यायालय शुल्क प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु राज्य के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में एक समुचित अभिकरण का चयन एवं नियुक्ति करेगा:- (क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण से सम्बन्धित, समय-समय पर निर्गत केन्द्र सरकार की संस्तुतियों, यदि कोई हो, के आधार पर; (ख) सम्यक् रूप से गठित विशेषज्ञ चयन समिति के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित करके।
नियुक्ति की अवधि	5. इस नियमावली के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की अवधि 05 वर्ष होगी।

करार और वचनबद्ध एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र का निष्पादन केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा किया जाना	6. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी तथा अभिकरण, नियुक्ति प्राधिकारी के साथ करार करेगा। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण उप नियम(1) में निर्दिष्ट करार के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के पक्ष में दायित्व एवं क्षतिपूर्ति का बन्ध पत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये, निष्पादित करेगा।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की समाप्ति	7. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति किसी बाध्यता या करार की शर्तों या इस नियमावली या अधिनियम के उपबन्धों के भंग होने या वित्तीय अनियमितता या किसी अन्य पर्याप्त कारण, जो अभिलिखित किये जायेंगे, के आधार पर नियुक्ति की तय की गयी शर्त की अवधि के पूर्व समाप्त की जा सकती है। (2) नियुक्ति को समाप्त करने का विनिश्चय- (क) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को उप नियम (1) के क्रम में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित आधारों के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस देने के पश्चात; (ख) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात; (ग) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात; तथा (घ) बाध्यता के भंग होने की स्थिति में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा कारण बताओं नोटिस में

	उल्लिखित समयावधि के अंतर्गत भंग को अपास्त किये जाने में विफल होने की स्थिति में किया जायेगा। (3) यदि आधार, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी ने नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ऐसा है जिससे राज्य के राजस्व को क्षति भी हुई है, तो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण शास्ति की सम्पूर्ण धनराशि, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा आरोपित की जाय, के अतिरिक्त राजस्व क्षति की सम्पूर्ण धनराशि का संदाय करने के लिए बाध्य होगा। (4) उप नियम (3) के अधीन अर्थदण्ड की धनराशि, जो अधिरोपित की जा सकती है, राजस्व क्षति की धनराशि के दो गुने से अधिक नहीं होगी। (5) इस नियम के अधीन नियुक्ति की समाप्ति पर, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियुक्ति की अवधि में जनित समस्त डाटा सरकार को स्थानान्तरित कर देगा। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियुक्ति के समाप्ति के पश्चात् नियुक्ति की अवधि में जनित डाटा को अपने व्यापार या किसी उद्देश्य हेतु, चाहे जो भी हो, प्रयोग में न लायेगा न लाने देगा।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति का नवीकरण	8. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन, नियुक्ति की चालू अवधि के समाप्ति के, कम से कम तीन माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर विनिश्चय

	करने के पूर्व विभाग, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या निकाय से कोई सूचना अथवा अभिलेख मंगा सकता है। (3) नवीकरण के औचित्य का समाधान हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति का नवीकरण कर सकता है। (4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति का नवीकरण करने का विनिश्चय करता है, तो नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट एक नया करार तथा नियम 6 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट वचनबद्ध एवं क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र उपयुक्त संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ निष्पादित किया जायेगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी को अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, नियुक्ति अवधि के नवीकरण से इन्कार करने की शक्ति होगी।
भाग-तीन केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के कर्तव्य	
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के कर्तव्य	9. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होगा-
	(क) नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से अभिहित स्थानों पर आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधायें, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का निर्माण एवं मेन सर्वर से इसका संयोजन;

	(ख) अभिहित न्यायालयों एवं चिन्हित नगरों/स्थानों के अधिकृत संग्रह केन्द्रों (न्याय शुल्क के भुगतान हेतु सम्पर्क स्थान) में आवश्यकता आधारित हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का निर्माण; (ग) विभाग/न्यायालय के कार्मिक को, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, उपकरणों के प्रयोग व संचालन के लिए उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना; (घ) न्यायालय शुल्क के संग्रह एवं ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के चयन में सहयोग प्रदान करना; (ङ.) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण, प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के केन्द्रीय सर्वर, न्यायालय और विभाग के पर्यवेक्षणीय एवं नियन्त्रक अधिकारियों के कार्यालयों या अन्य किसी कार्यालय या न्यायालय और अन्य कार्यालय या स्थान जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के मध्य समन्वय स्थापित करना। (च) इस नियमावली के अनुसार राज्य के न्यायालय शुल्क का संग्रह करना एवं जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाय, उसे उचित लेखा शीर्षक में प्रेषित करना। (छ) इस नियमावली के अधीन अपेक्षित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट विकसित करना एवं उसकी रूप रेखा तैयार करना, जैसा
--	--

	समय-समय पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय। (ज) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसा अपेक्षित अन्तरापृष्ठ विकसित करें जैसा नियुक्ति प्राधिकारी केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और न्यायालय के बीच परस्पर सहमति बने। (2)(क) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण राज्य में प्रारम्भ किये ई-कोर्ट फीस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कोई हार्डवेयर, साफ्टवेयर या कोई अन्य तकनीक या विवरण नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना सम्यक् रूप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों से भिन्न किसी अन्य को उपलब्ध, स्थानान्तरित या उसके साथ साझा नहीं करेगा। (ख) सरकार द्वारा सशक्त की गयी अभिकरण द्वारा संचालित सुरक्षा लेखा-परीक्षा के उपरान्त ई-कोर्ट-फीस ऐप्लिकेशन साफ्टवेयर को प्रभावी ढंग से अभिनियोजित करेगा। ई-कोर्ट-फीस ऐप्लिकेशन साफ्टवेयरों में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में सुरक्षा लेखा परीक्षा भी कराये जाने की आवश्यकता होगी। (ग) ई-कोर्ट-फीस के समर्पित सर्वर पर समस्त क्रिया-कलापों का इण्डियन कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पान्स टीम “सी०ई०आर०टी०” के दिशा-निर्देश के अधीन नियमित रूप से बनाये रखा जायेगा।
--	---

केन्द्रीय अभिलेख- अनुरक्षण अभिकरण को अनुमन्य कमीशन	10. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण संग्रहीत न्यायालय शुल्क की धनराशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में अधिसूचित दर के अनुसार कमीशन पाने का हकदार होगा। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को देय कमीशन नियम 20 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
केन्द्रीय अभिलेख- अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर की विशिष्टता	11. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को इस प्रकार साफ्टवेयर का प्रयोग और रूपांकन करना होगा, जिससे कि ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र पर कम से कम निम्नवत विवरण प्रदर्शित हो- (क) प्रमाण पत्र की विशिष्ट विलक्षण पहचान संख्या, जिससे कि ई-कोर्ट फीस प्रणाली के अस्तित्व पर्यन्त किसी अन्य प्रमाण पत्र में उसकी पुनरावृत्ति न हो सकें; (ख) निर्गम का दिनांक और समय; (ग) शब्दों और अंकों में प्रमाण पत्र के माध्यम से सदत्त न्यायालय शुल्क की धनराशि; (घ) ई-कोर्ट फीस पहचान पत्र के 99 रु से अधिक होने की दशा में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पक्षकार का नाम; (ड.) अनुमोदित मध्य वर्ती अथवा निर्गम शाखा का लोकेशन कोड; (च) प्रमाण पत्र का कोई अन्य विशिष्ट प्रतीक उदाहरणार्थ बार कोड आदि, यदि कोई हो। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रयोग किये जाने वाले साफ्टवेयर में निम्न की भी व्यवस्था होगी-

	(क) न्यायालयों/पदाभिहित अधिकारियों को किसी दस्तावेज में प्रयुक्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को लॉक करने की सुविधा; (ख) खराब, अप्रयुक्त अथवा प्रयोग के लिए अनपेक्षित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की सुविधा; (ग) किसी ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को तलाश करने उससे अभिगम स्थापित करने एवं उसका अवलोकन करने और प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर अभिगम स्थापित करने के लिए न्यायालयों के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा प्रयोग लिए जाने वाले आवश्यक यूजर आईडी व पासवर्ड। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण सम्बन्धित पदाधिकारियों अथवा न्यायालयों को नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय के महानिबन्धक के निर्देशानुसार यह पासवर्ड उपलब्ध करायेगा; (घ) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-कोर्ट फीस सर्वर पर निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों के विवरण की उपलब्धता; और (ङ.) ई-कोर्ट फीस से सम्बन्धित ऐसे विवरण एवं रिपोर्ट की केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की वेबसाइट पर उपलब्धता, जो उप नियम (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित अधिकारियों के लिए अभिगम्य होगा।
भाग-चार प्राधिकृत संग्रह केन्द्र	

प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति	12. केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण, नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व के अनुमोदन से, न्यायालय शुल्क के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं न्यायालय शुल्क दाता के मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु अभिकर्ता (अभिकर्ताओं), जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्र कहा गया है, की नियुक्ति कर सकता है। प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों को देय सेवा शुल्क, कमीशन या शुल्क आदि का संदाय केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अपने स्तर से, जैसा कि उनके मध्य पारस्परिक करार हुआ है, किया जायेगा।
प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता मापदण्ड	13. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था, कोई उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्था, कोई उपक्रम या पोस्ट आफिस प्राधिकृत केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर किसी व्यक्ति को अधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। (3) किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की वेबसाइट पर पंजीकरण के उपरान्त स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का क्रय ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की शाखायें भी	14. राज्य के विनिर्दिष्ट स्थानों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया गया हो, में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के समस्त कार्यालय/शाखायें भी न्यायालय शुल्क की धनराशि

न्यायालय शुल्क का संग्रह करेंगी	का संग्रह कर सकेंगी, जिसके लिए नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी से पृथक रूप से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
अवसंरचना	15. समस्त ऐसे अनुमोदित मध्यवर्ती, अपेक्षित कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, इण्टरनेट संयोजन और अन्य सम्बन्धित अवसंरचना से सुसज्जित होंगे, जो ई-कोर्ट फीस प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, आवश्यक है।
अवसंरचना की लागत	16. नियम 15 में निर्दिष्ट उपकरण एवं अवसंरचना को उपलब्ध कराये जाने की लागत, का वहन सम्बन्धित अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा किया जायेगा।
राज्य द्वारा विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु न्यायालयों/स्थलों को निर्दिष्ट किया जा सकेगा	17. राज्य ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु न्यायालयों/स्थलों को निर्दिष्ट कर सकेगा।
प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के अभिकरण की समाप्ति	18. नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय अभिलिखित कारणों से केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को किसी प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के अभिकरण को समाप्त करने हेतु परामर्श दे सकता है तथा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण ऐसे परामर्श पर ऐसे प्राधिकृत संग्रह केन्द्र अभिकरण को समाप्त करेगा।

ई-कोर्ट फीस प्रमाण-पत्र की न्यूनतम मूल्य सीमा	19. (1) ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र केवल रु० 5/- से अधिक की धनराशि के या ऐसी न्यूनतम धनराशि के, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जारी किये जा सकते हैं। (2) उप नियम (1) में उल्लिखित सीमा, नियम 28 के अधीन अतिरिक्त कोर्ट फीस भुगतान हेतु निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र पर लागू नहीं होगी।
भाग-पांच सरकारी लेखा में न्यायालय शुल्क का प्रेषण	
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा न्यायालय शुल्क को सरकारी खाता में जमा करना तथा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण (सी०आर०ए०) को दिया जाने वाला कमीशन	20. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और प्राधिकृत संग्रह केन्द्र द्वारा संग्रहीत न्यायालय शुल्क की समेकित धनराशि का मिलान करेगा एवं उसे संग्रह करने के दिनांक से अगले दो कार्य दिवसों की अवधि समाप्त होने से पूर्व अथवा अनुबन्ध पत्र में परस्पर सहमति से निर्धारित अवधि जो 02 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी, के अन्दर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोर्ट फीस के उचित लेखाशीर्षक में जमा करेगा। (2) राज्य के उचित लेखा शीर्षक में न्यायालय शुल्क का प्रेषण केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इलेक्ट्रानिक क्लेयरिंग सिस्टम (ईसीएस), रियल टाइम ग्रास सेटलमेण्ट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रानिक्स फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी), चालान या अन्यथा, जैसा समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जाये, के माध्यम से किया जायेगा। (3) उप नियम (1) में सन्दर्भित जमा धनराशियों को "राजकोष में विनिर्दिष्ट लेखाशीर्ष के अंतर्गत शासकीय संव्यहार करने हेतु अधिकृत बैंकों में चालान के द्वारा जमा कर अंतरित

	किया जाए" सरकारी कोषागार या प्राधिकृत बैंक तथा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण ऐसी जमा की गयी धनराशि का दैनिक खाता ऐसे प्रारूप में संरक्षित रखेंगे, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये, (4) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को उसके द्वारा प्रस्तुत समेकित प्राप्त विवरण के आधार पर मासिक अथवा पाक्षिक आधार पर, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये या करार के अनुसार कमीशन का भुगतान किया जायेगा। इस उप नियम के अधीन कमीशन का भुगतान स्रोत पर आयकर कटौती के उपरान्त किया जायेगा। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण कोई अन्य कर, जो केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन देय है, के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
भाग-छ ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया	
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	21. न्यायालय शुल्क का सन्दाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की किसी शाखा या अनुमोदित मध्यवर्ती पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा।
न्यायालय शुल्क के सन्दाय की विधि	22. न्यायालय शुल्क की धनराशि का सन्दाय नकद या पे आर्डर या चेक या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक्स समाशोधन प्रणाली या रियल टाईम ग्रास सेटलमेण्ट अथवा निधियों के अन्तरण की अन्य विधि, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, द्वारा किया जायेगा।

ई-कोर्ट फीस प्रमाण का निर्गमन	23.(1) अनुमोदित मध्यवर्ती का प्राधिकृत पदाधिकारी नियम 22 के अधीन ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र जारी करेगा। (2) अनुमोदित मध्यवर्ती, जिसके द्वारा ई-कोर्ट फीस प्रमाण जारी किया जा रहा है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें प्रतिदिन उसके द्वारा जारी किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का खाता रखा जायेगा तथा ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी हो, के हस्ताक्षर रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर करायेगा।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	24. अनुमोदित मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति, जिसे ई-कोर्ट फीस प्रमाण जारी किये जाने का कार्य सौंपा गया है, उसके अभिकरण या संस्था का विधिवित प्राधिकृत प्रतिनिधि है एवं यथोचित विश्वास का है।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का कागज तथा मुद्रण	25. ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का मुद्रण टिकाऊ कागज पर न धुलने वाली अमिट काली स्याही से अथवा जिस प्रकार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो, किया जायेगा।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का विवरण वेबसाईट पर होगा	26. निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का विवरण केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-कोर्ट फीस वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा और इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसमें न्यायालय कर्मी शामिल हो, को सुलभ होगा, जिनके पास केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदान किये जाने वाले वैध यूजर आई०डी० और पासवर्ड उपलब्ध हो।
अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का संदाय	27. ऐसा व्यक्ति, जिसके पास ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र है एवं जिसके द्वारा अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना है, जिनर्धारित

	प्रारूप में अनुमोदित मध्यवर्ती के समक्ष उक्त अतिरिक्त न्यायालय फीस के भुगतानक के साथ प्रार्थना पत्र दे सकता है।
अतिरिक्त न्यायालय शुल्क के लिए ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का निर्गमन	28. (1) अनुमोदित मध्यवर्ती, ऐसे अतिरिक्त न्यायालय शुल्क के संदाय हेतु नियम 21 से 25 तक में यथा विहित विधि से कागज के पृथक पत्रक पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। (2) अधिनियम के अधीन दस्तावेज पर प्रभार्य न्यायालय शुल्क के भुगतान हेतु ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के साथ-साथ न्यायिक स्टाम्प का भी प्रयोग किया जा सकता है।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के पुनः प्रयोग का निषेध	29. (1) किसी दस्तावेज में प्रयुक्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का किसी दूसरे दस्तावेज में प्रयोग नहीं किया जाएगा। (2) उपनियम (1) का उल्लंघन करते हुये लिखा गया दस्तावेज अस्टाम्पित माना जायेगा और इस पर अधिनियम के प्राविधानों अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या	30. दस्तावेज के ऊपर वाले भाग पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की विलक्षण एवं विशिष्ट पहचान संख्या लिखी या मुद्रित की जायेगी।
ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के विवरण का प्रमाणीकरण और लाक किया जाना	31. न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पित जांच के उपरान्त, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की सुसंगत बेवसाईट पर अभिगम स्थापित कर दस्तावेज में प्रयोग किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की शुद्धता और प्रमाणिकता को विशिष्ट पहचान संस्था के सत्यापन हेतु बार कोड स्कैनर की मदद से सत्यापित करेंगे। उक्त सत्यापन के उपरान्त न्यायालयों द्वारा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदत्त

	यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायकता से ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को लाक किया जायेगा, जिससे कि इस प्रमाण पत्र का पुनः प्रयोग न हो सके। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदत्त यूजर आई०डी० और पासवर्ड को संबंधित अधिकारी प्रकट नहीं करेगा तथा यूजर आई०डी० या पासवर्ड जो संबंधित अधिकारी को प्रदत्त है, के गलत और अनाधिकृत प्रयोग से सरकार को यदि कोई हानि होती है उसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरादायी ठहराया जायेगा।
भाग-सात ई-कोर्ट फीस पत्रों की वापसी	
खराब हुये/अप्रयुक्त/प्रयोगार्थ अपेक्षित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की वापसी की प्रक्रिया	32. (1) खराब हुये या दुरुपयोग किये गये या अनपेक्षित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों की वापसी या छूट के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के साथ ऐसे कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को न्यायालय द्वारा प्रयोग हेतु लॉक किया जाना अपेक्षित है। (2) कलेक्टर, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के सुसंगत वेबसाइट पर पहुंच कर सत्यापित करने के उपरान्त सत्यापित किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को निरस्त और लॉक करेगा तथा मूल ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र पर शब्द “निरस्त” अंकित करके अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ पृष्ठांकन करेगा। न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के अध्याय 5 के अधीन

	वापसी और छूट की प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित यथावश्यक उपान्तर के साथ प्रभावी होगी। (3) कलेक्टर अपने कार्यालय में ऐसे निरस्त किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों का विवरण संरक्षित रखेगा।
भाग-आठ निरीक्षण, संपरीक्षा एवं प्रणाली के सम्पादन का मूल्यांकन	
केन्द्रीय अभिलेख- अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण	33. (1) निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी विभाग का कोई पर्यवेक्षणीय अधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या स्टाम्प आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का तकनीकी एवं सम्परीक्षा विशेषज्ञ/अभिकरण अपनी अधिकारिता में स्थित केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या अनुमोदित मध्यवर्तियों के समस्त या किसी शाखा/कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है। (2) तथापि, स्टाम्प आयुक्त उपनियम (1) में उल्लिखित नियमित निरीक्षणों के अतिरिक्त किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से विभाग के किसी पदाधिकारी को केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या अनुमोदित मध्यवर्ती की किसी शाखा या कार्यालय का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकता है। (3) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा की गयी प्राप्तिर्यो एवं प्रेषण की संपरीक्षा की जा सकती है।

निरीक्षण और संपरीक्षा करने के लिए अनुसरण की जाने वाली समय सारणी	34. केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा राज्य में अनुमोदित मध्यवर्ती की समस्त या हिन्ही शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण और संपरीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय सारणी के अनुसार की जायेगी।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण/प्राधिकृत संग्रह केन्द्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु बाध्य	35. ऐसे निरीक्षण के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी अथवा विशेषज्ञ/अभिकरण निरीक्षित शाखा/कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से किसी भी अवधि से सम्बन्धित न्यायालय शुल्क के संग्रह एवं प्रेषण विषय सूचना किसी इलेक्ट्रानिक अथवा डिजिटल अभिलेख की साफ्ट अथवा हार्ड कॉपी पर उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षा कर सकता है और सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अथवा अनुमोदित मध्यवर्ती ऐसी सूचना को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायेगा।
निरीक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	36. निरीक्षणकर्ता अधिकारी तथा तकनीकी एवं संपरीक्षा/अभिकरण चूकों, उल्लंघनों विलम्बों या अनियमिताओं, यदि कोई है आदि का उल्लेख करते हुये सुझाव एवं अनुशंसा के साथ निरीक्षण रिपोर्ट स्टाम्प आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।
स्टाम्प आयुक्त द्वारा समुचित कार्यवाही कियहा जाना	37. निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाम्प आयुक्त सम्बन्धित प्रकरण में समुचित कार्यवाही करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी से अर्थदण्ड के अधिरोपण और या केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या संग्रह केन्द्र के रूप में प्राधिकृत अभिकरण की नियुक्ति समाप्त करने (यदि परिस्थितियों से ऐसा आवश्यक हो) की अनुशंसा कर सकता है। यदि स्टाम्प आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में

	भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो वह उस हैसियत से समुचित कार्यवाही करेगा।				
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही किया जाना	38. केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या संग्रह केन्द्र के रूप में प्राधिकृत अभिकरण को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षण/तकनीकी संपरीक्षा रिपोर्ट और स्टाम्प आयुक्त की अनुशंसाओं के आधार पर कोई समुचित कार्यवाही जैसा वह उचित समझे, कर सकता है।				
भाग-नौ चूकों और उल्लंघनों के लिए दण्ड					
सरकारी लेखा में प्रेषण में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	39. यदि केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियम 20 के उप नियम (1) में यथा निर्धारित काल अवधि में न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गई धनराशि को राज्य सरकार के समुचित लेखाशीर्षक में प्रेषित करने में विफल रहता है, तो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण संग्रहीत न्यायालय शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त विलम्ब के लिए अर्थदण्ड देने के लिए निम्न प्रकार दायी होगा- <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">विलम्ब की अवधि</th><th style="text-align: left;">अर्थदण्ड</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) जब न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गयी धनराशि संग्रह की तिथि से तीसरे अथवा उसे बाद परन्तु सातवें कार्य दिवस</td><td>(1) ऐसी धनराशि जो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को देय कमीशन के बराबर हो।</td></tr> </tbody> </table>	विलम्ब की अवधि	अर्थदण्ड	(1) जब न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गयी धनराशि संग्रह की तिथि से तीसरे अथवा उसे बाद परन्तु सातवें कार्य दिवस	(1) ऐसी धनराशि जो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को देय कमीशन के बराबर हो।
विलम्ब की अवधि	अर्थदण्ड				
(1) जब न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गयी धनराशि संग्रह की तिथि से तीसरे अथवा उसे बाद परन्तु सातवें कार्य दिवस	(1) ऐसी धनराशि जो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को देय कमीशन के बराबर हो।				

	पर अथवा उसके पूर्व प्रेषित की जाती है। (II) जब न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गयी धनराशि, संग्रह की तिथि से सातवें कार्यदिवस की समाप्ति के बाद प्रेषित की जाती है। (II) उपरोक्तानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड के अतिरिक्त प्रेषण में व्यतिक्रम के पहले दिन से न्यायालय शुल्क के रूप में संग्रहीत की गई धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से अधिरोपित चक्रवृद्धि अर्थदण्ड।
प्रेषण में विलम्ब के सम्बन्ध में विवाद	40. (1) न्यायालय शुल्क के प्रेषण में विलम्ब के कारणों एवं इसके परिमाणस्वरूप नियम 39 के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड में विवाद की दशा में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को विलम्ब के कारण के बिन्दु पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। (2) यदि स्टाम्प आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि जमा में विलम्ब ऐसे कारण/कारणों से हुआ था, जो कि केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के नियन्त्रण के परे था (जैसे कि ईश्वरीय विधान, सिविल या मिलेट्री प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही, आग, महामारी, युद्ध, आतंकी कार्यवाही, दंगे, भूकम्प, तूफान, बाढ़) तो वह नियम 39 के अन्तर्गत निर्धारित अर्थदण्ड को पूर्णतः या अंशतः अधित्यजित कर सकता है।

	(3) अधिरोपित अर्थदण्ड के बिन्दु पर कोई विवाद उठने की दशा में प्रकरण सरकार को संदर्भित किया जायेगा और सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण का सरकार की क्षति की दशा में प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होना तथा क्षति के लिए दण्ड	41. (1) यदि केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या इसके प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों में से किसी के द्वारा किये गये कार्य में चूक, अनियमितता अथवा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व क्षति हुई हो, तो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण राजस्व की क्षति की धनराशि के साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज एवं सरकार को हुई राजस्व क्षति की धनराशि के दो गुने से अनधिक धनराशि के अर्थदण्ड के साथ प्रतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को, फिर भी, उप नियम (1) के अधीन निर्णय लेने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
देय धनराशि एवं अर्थदण्ड भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना	42. यदि केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण इन नियमों के अन्तर्गत सरकार को देय धनराशि और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड नहीं देता है, तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
भाग-दस माध्यस्थम	
माध्यस्थम	43. करार के पक्षकारों के मध्य समस्त विवाद एवं मतभेद, यथा संभव सौहार्दपूर्वक निस्तारित किये जायेंगे तथा इसमें विफल होने पर समस्त ऐसे विवाद भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम

	संख्या 26 सन् 1996) के उपबन्धों के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ को निर्दिष्ट किये जायेंगे।
माध्यस्थम का स्थान	44. माध्यस्थम का स्थान लखनऊ होगा
अध्याय-ग्यारह जन शिकायत निवारण प्रणाली	
शिकायत निवारण अधिकारी	45. (1) स्टाम्प आयुक्त, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या इसके प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों अथवा किसी अन्य पदाधिकारी, जो इस नियमावली के कार्यान्वयन के सम्बन्धित है, के विरुद्ध कदाचार अथवा अनियमितताओं की शिकायतों के परीक्षण एवं जांच के लिए विभाग के एक अथवा अधिक अधिकारियों को पदाभिहित करेगा, जिन्हें शिकायत निवारण अधिकारी कहा जायेगा। (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय अथवा जनपद न्यायाधीश, जैसा हो, इस नियमावली के कार्यान्वयन से सम्बन्धित, न्यायालय कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त कदाचार अथवा अनियमितताओं की शिकायतों के परीक्षण एवं जांच के लिए एक अधिकारी, जो अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश की श्रेणी से अन्यून हो, को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेंगे।
शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत	46. कोई न्यायालय शुल्क संदायकर्ता, जिसे केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अथवा उसके किसी प्राधिकृत संग्रह केन्द्र अथवा इन नियमों को कार्यान्वयन करने वाले किसी अन्य पदाधिकारी की सेवाओं के विरुद्ध कोई शिकायत है तो वह शिकायत के कारण को सम्पुष्ट करने के लिए

	आवश्यक साक्ष्यों के साथ सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत कर सकता है।
जांच अधिकारी के समक्ष जांच प्रक्रिया	47. (1) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत निवारण अधिकारी उक्त तथ्य को आयुक्त स्टाम्प अथवा महानिबन्धक, उच्च न्यायालय अथवा जनपद न्यायाधीश जैसा हो, के संज्ञान में लायेगा। (2) आयुक्त स्टाम्प अथवा महानिबन्धक, उच्च न्यायालय अथवा जनपद न्यायाधीश शिकायत निवारण अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी (जिसे जांच अधिकारी कहा जायेगा) को शिकायत की जांच हेतु आदेश दे सकता है। (3) जांच अधिकारी सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेगा। (4) जांच अधिकारी अपनी जांच आख्या यथास्थिति आयुक्त स्टाम्प अथवा महानिबन्धक, उच्च न्यायालय अथवा जनपद न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा।
जांच रिपोर्ट	48. (1) जांच आख्या के आधार पर आयुक्त स्टाम्प केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा अथवा सम्बन्धित कर्मों के नियोजक को उचित कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रेषित करेगा। (2) जांच आख्या के आधार पर महानिबन्धक यथास्थिति, उच्च न्यायालय अथवा जनपद न्यायाधीश, न्यायालय कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा।
भाग-बारह प्रबन्ध सूचना प्रणाली/निर्णय समर्थन प्रणाली	
केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण	49. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण स्टाम्प आयुक्त तथा महानिबन्धक उच्च न्यायालय एवं अन्य ऐसे सभी अधिकारियों को, जिन्हें

द्वारा विभाग/ न्यायालय को प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं निर्णय समर्थन प्रणाली की रिपोर्ट्स को उपलब्ध कराना	उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करायेगा, जिससे कि ई-कोर्ट फीस प्रणाली में वांछित सूचना रिपोर्ट को ऑनलाइन पहुंच द्वारा निर्दिष्ट प्राप्त किया जा सके। (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित सूचना रिपोर्ट्स को स्टाम्प आयुक्त तथा महानिबन्धक उच्च न्यायालय और किसी या अन्य ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि वो निर्दिष्ट करें, सूचना उपलब्ध करायेगा, जिसमें निम्न सूचना रिपोर्ट सम्मिलित है:- (क) सम्परीक्षा अन्वेषण रिपोर्ट:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की संग्रह शाखाओं कार्यालयों के उपयोक्ताओं द्वारा निष्पादित प्रणाली पर समस्त कार्यवाहियों का पता लगाना। (ख) सरकार संदेय रिपोर्ट्स:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि को प्राधिकृत संग्रह केन्द्रवार (केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण शाखाओं सहित) सम्पूर्ण संग्रह रिपोर्ट। (ग) अतिरिक्त न्यायालय शुल्क प्रमाण पत्र रिपोर्ट्स:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत केन्द्रों की समस्त या किसी संग्रह शाखा/कार्यालय के लिए। (घ) लाकड ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र रिपोर्ट:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि से सम्बन्धित समस्त न्यायालयों में से किसी के सम्बन्ध में। (ड.) प्रेषण रिपोर्ट्स:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा कृत प्रेषणों का जिलेवार ब्यौरा।
--	---

	(च) निरस्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट:- किसी विशिष्ट दिवस या अवधि से सम्बन्धित रिपोर्ट। (छ) प्रमाण पत्र उत्पादन रिपोर्ट:- किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए उत्पादित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट। (ज) वार्षिक न्यायालय शुल्क संग्रह रिपोर्ट:- केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की कोई-समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों द्वारा संग्रहीत न्यायालय शुल्क की वार्षिक रिपोर्ट। (झ) न्यायालय शुल्क सदृश संग्रह रिपोर्ट:- केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष के दस्तावेज मासिक न्यायालय शुल्क संग्रहों की श्रेणी प्रदर्शित होगी। (अ) मासिक न्यायालय शुल्क संग्रह की रिपोर्ट:- केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष की मासिक शुल्क संग्रह की रिपोर्ट। (ट) स्टाम्प आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य रिपोर्ट या सूचना।
भाग-तेरह कोषागार की भूमिका	
कोषागार द्वारा दैनिक प्रेषणों का सत्यापन करना	50. कोषाधिकारी, राजकीय व्यवसाय शाखा का कार्य कार्य करने वाले बैंक की शाखा से प्राप्त लेखासूची से केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण

	द्वारा नियम 20 में निर्दिष्ट सरकारी खाता में न्यायालय शुल्क के दैनिक प्रेषणों के ब्यौरों का सत्यापन करेगा।
भाग-चौदह	
शक्तियों का प्रतिनिधायन	
नियुक्ति प्राधिकारी अपनी समस्त अथवा किसी भी शक्तियों को प्रतिनिधानित कर सकता है।	51. नियुक्ति प्राधिकारी, दस्तावेज आदेश द्वारा सभी अथवा किसी शक्ति एवं/अथवा कार्य का प्रतिनिधायन विभाग के किसी अधिकारी को कर सकता है।
नियमावली में संशोधन करने की शक्ति	52. इस नियमावली तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली में संशोधन कर सकती है।
व्यावृत्तियाँ	53. इस नियमावली तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के किसी नियम में विवाद होने की दशा में यह नियमावली अभिभावी होगी।
भाग-पन्द्रह	
कार्यान्वयन	
	54. ई-कोर्ट फीस प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भुगतान की व्यवस्था का कार्यान्वयन उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालयों में उन तिथियों से होगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा परस्पर सहमति से

	अवधारित किया जाये एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाये।
--	--

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

<http://shasanavadesh.up.nic.in>

4/2016/संख्या-179(1)94/स्टा०नि०-2-2016-700(162)/2014, दिनांक 19 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 19 फरवरी, 2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

4/2016/संख्या-179(2)94/स्टा०नि०-2-2016-700(162)/2014, दिनांक 19 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।